रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 1994/अग्रहायण 16, 1916
No. 504] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 1994/AGRAHAYANA 16, 1916

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1994

सा.का.नि. 848(अ)—केन्द्रीय सरकार, का यह समाधान हो गया है कि विटामिन "सी" के साथ प्रतिजैविकी के किसी टेट्रासाइक्लीन समूह का नियत मात्रा में संयोजन के उपयोग से मानव के जोखिम में पड़ने की संभावना है और ऐसे सूत्रों का कोई चिकित्सीय न्यायोचित्य नहीं है;

और केन्द्रीय सरकार का यह भी समाधान हो गया है कि सैन्टोनिन के साथ एनथेल्मीटिक का नियत मात्रा में संयोजन मूल कृमियों को निष्कासित करने के लिये प्रभावी और सारक आवश्यकता के लिये विक्रय किये जाने के लिये अनुज्ञात किया जा सकता है;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना स. सा. का. नि. 578 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

मद 12 और मद 35 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित मदे रखी जायेगी, अर्थात् :—

"12 विटामिन सी के साथ किसी अन्य टैट्रासाइक्लीन का नियत मात्रा में संयोजन"।;
"35 पिपरेजीन/सैन्टोनिन के सिवाय विरेचक/सारक के साथ किसी एनथैल्मीटिक का नियत मात्रा में संयोजन"।

[सं. एक्स 11014/13/94-डी.एम.एस.एंड पी.एफ.ए.]
शैलजा चन्द्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिसके लिये दिनांक 23–7–83 के सा.का.नि. 578(अ) का अवलोकन करें। तदन्तर, इसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. सा.का.नि. सं. 49(अ), दिनांक 31–1–1984
2. सा.का.नि.सं 322(अ), दिनांक 3–5–1984
3. सा.का.नि.सं. 863(अ), दिनांक 22–11–1985
4. सा.का.नि.सं. 700(अ), दिनांक 15–6–1988
5. सा.का.नि.सं. 1057(अ), दिनांक 3–11–1988
6. सा.का.नि.सं. 743(अ), दिनांक 10–8–1989
7. सा.का.नि.सं. 999(अ), दिनांक 26–12–1990
8. सा.का.नि.सं. 69(अ), दिनांक 11–2–1991
9. सा.का.नि.सं. 304(अ), दिनांक 7–6–1991
10. सा.का.नि.सं. 444(अ), दिनांक 30–4–1992
11. सा.का.नि.सं. 111(अ), दिनांक 22–2–1994

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1994

G.S.R. 848(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of Fixed Dose Combination of any Tetracycline Group of Antibiotics with Vitamin C is likely to involve risk to human beings and such formulations have no therapeutic justification ;

And whereas the Central Government is also satisfied that fixed dose combination of Anthelmintic with Santonin could be allowed to be marketed for effectiveness and purgative need to expel the dead worms ;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare GSR 578(E) dated the 23rd day of July, 1983, namely :—

In the said notification, in the table, for items 12 and 35, the following items shall be substituted respectively, namely :—

"12. Fixed dose combination of any other Tetracyclines with Vitamin C". ;

"35. Fixed dose combination of any anthelmintic with cathartic|purgative except Piperazine|Santonin".

[No. X. 11014|13|94-DMS & PFA]

SMT. SHAILAJA CHANDRA, Jt. Secy.

Foot Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India vide GSR No. 578(E), dated 23-7-83 and subsequently amended by :—

1. GSR No. 49(E), dated 31-1-1984
2. GSR No. 322(E), dated 3-5-1984
3. GSR No. 863(E), dated 22-11-1985

4. GSR No. 700(E), dated 15-6-1988
5. GSR No. 1057(E), dated 3-11-1988
6. GSR No. 743(E), dated 10-8-1989
7. GSR No. 999(E), dated 26-12-1990
8. GSR No. 69(E), dated 11-2-1991
9. GSR No. 304(E), dated 7-6-1991
10. GSR No. 444(E), dated 30-4-1992
11. GSR No. 111(E), dated 22-2-1994

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994